संख्या-29/2019/158/71-3-2019-61/2018टीसी-2

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 25 फरवरी, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूॅजीलेखा पक्ष में केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत 05 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज में फर्नीचर हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/752, दिनांक 05-02-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूॅजीलेखा पक्ष में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य मद में 05 स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेज अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर के फर्नीचर क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूॅजीलेखा पक्ष में "4210-03-105-04-डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, गोमतीनगर, लखनऊ, में रू0 2500.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की हो रही सम्भावित बचत को पुनर्विनियोग के माध्यम से जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर 05 स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेजों के फर्नीचर हेतु संलग्न प्रपत्र बीएम-9 में उल्लिखित मद में संक्रमित कर संक्रमित धनराशि व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) फर्नीचर का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से अथवा इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों के आधार पर किया जायेगा।
(2) मेडिकल कालेजों हेतु फर्नीचर का क्रय सूची को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
(3) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथा सम्भव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आधारभूत आवश्यकताओं पर ही किया जायेगा।
(7) जिस मद से धनराशि संक्रमित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, उसमें इस वित्तीय वर्ष में पुन: अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
(8) महानिदेशक तथा नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य गुणवत्ता पूर्वक सम्पादित किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) जिस मद में बचत बताते हुए उससे पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उसमें पुनर्विनियोग हेतु आवश्यक धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

(10) महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(11) उ0प्र0 के शासकीय विभागों एवं उनके अधिनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) उपकरण क्रय किये जाने से पूर्व वित्त अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की विशिष्टियों का यथा सम्भव समावेश किया जाए।

(13) प्रस्तावित उपकरण की मात्रा, उनकी गुणवत्ता, मानक एवं तकनीकी विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चि0शि0/सम्बन्धित प्रधानाचार्य की होगी।

(14) व्यय वित्त समिति की शर्तो एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा शिक्षा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूॅजीलेखा के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-227/दस-2019, दिनॉक 18 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

<u>संख्या:-29/2018/158(1)/71-3-2019 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेज अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नियोजन अनुभाग-4
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in